न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 14/20

1. जगदीश पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सहीराम पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सुरजाराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. श्रवणराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अपीलांट

बनाम

1. सायरी बेवा हापूराम
2. सोहन पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
3. बाबूलाल पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
4. शान्ति पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
5. मुनकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
6. गलकी
7. मोरकी
8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.....**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 47/31 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा एवं मु0नं0 47/39 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें 18.00 कमाण्ड एवं 32.00 अनकमाण्ड कुल 50.00 बीघा भूमि हापूराम पुत्र भगाराम को आंवटनशुदा थी। अपीलांट ने ही हापूराम की जीवनकाल में सेवाचाकरी और हापूराम ने स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 12.05.1989 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी। हापूराम का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को जाने के बाद अपीलांट ही लगातार उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहा है तथा समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवाकर और काफी खर्चा कर सिंचाई योग्य कर भूमि को खेती लायक बनाया। जनवरी 2010 को अपीलांट उक्त भूमि रिकार्ड में अराजीराज और किश्तों के अभाव में खारिज की जानकारी हुई तो अपीलांट ने बहाली की कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट ने इकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित करवाकर अपने नाम विरास्तन दर्ज करवा ली। अपीलांट ने उक्त जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत के तौर पर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को रजि0ए0डी0 सम्मन से तलब किया गया दिनांक 17.02.2020 को रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई उपस्थित आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा रेस्पोडेन्ट्स के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया । जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिकार्ड की कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत लिख हस्ताक्षर कर दिये जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है। चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी

न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है और रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं0 3 के साथ प्रार्थना पत्र मीमो न्यायालय जिला जज बीकानेर का पेश किया तथा फोटो प्रतिया पेश की है जो जैरअपील पक्षकारों के सम्बंध में नही है तथा इस अपील में उक्त दस्तावेजों का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की जरिये वसीयतनामा जायज वारीसान थे । चूंकि हापूराम ने अपने जीवनकाल में जैर अपील भूमि के वसीयत दिनांक 12.05.1989 को अपीलांट के पक्ष में कर दी थी तथा निरन्तर कब्जा रहा है और जबतक वसीयत अस्तित्व में है तब तक उसे सुना जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनकर मजमेआम में निर्णय देना था तथा पक्षकारों को सम्पूर्ण सुनवाई कर विधिसम्मत वसीयतन प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में जैरअपील आदेश कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 चक 7 एसएसएम निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि जैरअपील भूमि को वसीयत दिनांक 12.05.1989 के अनुसार दोनों पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:39:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: